न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक
(सुखराम खोखर, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः— 20/2018
प्रविष्टि दिनांकः— 13.09.2018

नरेन्द्र पुत्र मोतीलाल जाति कीर निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
.... अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0
.... रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 904 दिनांक 29.08.2017 तहसीलदार देवली

उपस्थितः (1) श्री विजय कुमार पारीक, अभिभाषक अपीलाण्ट
(2) श्री जुगनू शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 27.12.2019

संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि तहसीलदार देवली द्वारा नामान्तकरण संख्या 904 दिनांक 29.08.2017 को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप अपीलांट व्यथित होकर नामान्तकरण को विधि विधान एंव तथ्यो के प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की हैं

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिये सम्मन की गई। मूल नामान्तकरण तलब किया गया। अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त नामान्तकरण खोले जाने से पूर्व तहसीलदार देवली द्वारा बिना वास्तविक तथ्यो की जांच किये विधि विरूद्व तरीके से दस्तावेजी साक्ष्य के विपरित जाकर खोला गया है। आराजी खसरा नम्बर 1024 रकबा 0.37 है0 वाके ग्राम मूण्डयाखुर्द तहसील देवली मे स्थित है,जिसका दयाला पुत्र जगदीश खातेदार था,उक्त वर्णित भूमि मे से राज्य सरकार द्वारा रकबा 0.09 है0 भूमि बीसलपुर परियोजना संथली माईनर हेतु अवाप्त की गई जिसका नामान्तकरण संख्या 323 पृथक से तस्दीक किया गया,शेष भूमि रकबा 0.28 है0 अपीलांट ने,खरीद की थी और तब से उसकी खातेदारी एंव कब्जे काश्त मे चली आ रही है,किन्तु उसके उपरान्त उक्त रकबा 0.28 है0 भूमि मे से भी रकबा 0.01 है0 भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अवाप्त कर ली गई,जिसका नामान्तकरण संख्या 591 दिनांक 11.08.2018 खोला गया था। यह कि उक्त भूमि रकबा 0.01 है0 अवाप्त होने के बाद अपीलांट की खातेदारी मे रकबा 0.27 है0 भूमि रहनी चाहिये थी, किन्तु तहसीलदार देवली द्वारा सहवन से रकबा 0.01 है0 के स्थान पर रकबा 0.10 है0 भूमि अपीलांट की खातेदारी

सावांरक्षक जिला कलेक्टर
टोंक 071

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

मे से कम करते हुए नामान्तकरण संख्या 904 विधि विरूद्ध तरीके से तस्दीक कर दिया गया जो कि त्रृटिपूर्ण है। अपीलांट को राज्य सरकार द्वारा अवाप्त शुद्वा भूमि का बारानी भूमि का मुआवजा दिया गया जिसके सम्बंध मे अपीलांट ने न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक के यहां एन.एच. एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसको स्वीकार करते हुए जिला कलेक्टर टोंक द्वारा अपीलांट के ह कमे सिंचित का मुआवजा दिये जाने का आदेश पारित किया तथा उक्त आदेश की पालना मे तहसीलदार देवली बिना सूक्ष्मता से राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करते हुए उक्त त्रृटिपूर्ण नामान्तकरण तस्दीक किया है जो गलत है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार देवली द्वारा तस्दीक किये गये उक्त नामान्तकरण को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने जवाबी बहस में कथन किया कि तहसीलदार देवली द्वारा सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ती राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (अति0 जिला कलेक्टर)टोक के प्रकरण संख्या 2048 तथा तहसील आदेश क्रमांक/भू.अ./17/1133–37 दिनांक 01.05.2017 की पालना मे नामान्तकरण संख्या 904 दिनांक 29.08.2017 विधिवत रूप से तस्दीक किया गया है। नामान्तकरण मे किसी प्रकार की त्रृटि नही है। अतः अपील अपीलांट निरस्त योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अध्ययन किया। तहसीलदार देवली द्वारा सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ती राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (अति0 जिला कलेक्टर)टोक के प्रकरण संख्या 2048 तथा तहसील आदेश क्रमांक/भू.अ./17/1133–37 दिनांक 01.05.2017 की पालना मे खसरा नम्बर 1024 रकबा 0.10 है0 भूमि का नामान्तकरण संख्या 904 दिनांक 29.08.2017 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एन.एच–12 के नाम तस्दीक किया गया है।

पत्रावली मे उपलब्ध न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर)टोक के प्रकरण संख्या 104/2011 उनवान नरेन्द्र बनाम सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ती राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (अति0 जिला कलेक्टर)टोक निर्णय दिनांक 23.09.2016 की प्रति से जाहिर है कि ख0नं0 1024 मे कुल 1000 वर्गमीटर भूमि अवाप्त की गई है एंव 1000 वर्गमीटर बराबर 0.10 है. होता है।

उपरोक्त तथ्यो के आधार पर नामान्तकरण संख्या 904 दिनांक 29.08.2017 वाके ग्राम मूण्डियाखुर्द तहसीलदार देवली ने सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ती राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (अति0 जिला कलेक्टर)टोक के प्रकरण संख्या 2048 तथा तहसील आदेश क्रमांक/भू.अ./17/1133–37 दिनांक 01.05.2017 की पालना मे खसरा नम्बर 1024 का एन.एच–12 हेतु अवाप्त रकवा 0.10 है0 का नामान्तकरण संख्या 904 दिनांक 29.08.2017 विधिक रूप से सही स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहसीलदार देवली द्वारा सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ती राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (अति0 जिला कलेक्टर)टोक के प्रकरण संख्या 2048 तथा तहसील आदेश क्रमांक/भू.अ.

1072

अतिरिक्त जिला ... टोंक

Scanned by CamScanner

/17/1133–37 दिनांक 01.05.2017 की पालना मे स्वीकार किया गया नामान्तकरण संख्या 904 दिनांक 29.08.2017 वाके ग्राम मूण्डियाखुर्द यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखराम खोखर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2020.01.20 13:06:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: